भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2323

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

2323. श्री मलैयारासन डी.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर पहली बार उद्यमियों के बीच रोजगार सृजन पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु से लाभार्थियों की संख्या के संबंध में राज्य-वार और श्रेणी-वार (शिशु, किशोर, तरुण) आंकड़ों सहित ऐसे मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुद्रा ऋण विशेष रूप से सार्वजनकि क्षेत्र के बैंकों से उच्च गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के ब्यौरों की जानकारी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऋण समीक्षा और वसूली तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऋण उपयोग, चुकौती क्षमता और निगरानी के बारे में चिंताओं के आलोक में योजना की समीक्षा या पुनर्गठन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने पीएमएमवाई के अंतर्गत रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नमूना सर्वेक्षण किया था।

सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, पीएमएमवाई ने लगभग 3 वर्षों (अर्थात 2015 से 2018 तक) की अवधि के दौरान 1.12 करोड़ निवल अतिरिक्त रोजगार का सृजन का *करने* में सहायता की है।

तमिलनाडु सहित पिछले पांच वर्षों के लिए लाभार्थियों (ऋण) की संख्या संबंधी राज्य और श्रेणी-वार (शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस) आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ): पीएमएमवाई मुख्य रूप से समाज के उन वर्गों की जरूरतों को पूरा करती है जो संपार्श्विक, व्यावसायिक अनुभव आदि की कमी के कारण औपचारिक ऋण प्रणाली से बाहर रहे हैं। जून, 2025 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए पीएमएमवाई के अन्तर्गत एनपीए दर 3.31% (वितरित राशि के लिए) है। इसका मुख्य कारण यह है कि योजना के अंतर्गत ऋण संपार्श्विक मुक्त हैं और प्राय: नए व्यवसाय उद्यमियों, जिनके पास व्यावसायिक अनुभव और विशेषज्ञता की कमी हो सकती है, को प्रदान किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा संवितरित ऋणों की प्रभावी स्वीकृति और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निगरानी तंत्र में वार्षिक

सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित करना और निष्पादन की आवधिक समीक्षा करना शामिल हैं। इसके अलावा, ऋणदाता निम्नलिखित कार्य करते हैं:

i. उधारकर्ताओं द्वारा ऋण आवेदनों में प्रदान किए गए विवरणों को सत्यापित करने के लिए पूर्व-स्वीकृति क्षेत्र के दौरे और ऋण राशि से बनाई गई परिसंपत्तियों के सत्यापन के लिए स्वीकृति के बाद के दौरे;

ii. उधारकर्ता की इकाई के स्टॉक विवरण का संग्रह और किसी विशेष अवधि के लिए कार्यशील पूंजी के लिए आहरण शक्ति (डीपी) निर्धारित करने के लिए इसका आवधिक सत्यापन;

iii. इकाई को अपना पैसा कहां से प्राप्त होता है (नकदी प्रवाह) और यह कैसे खर्च करता है (नकदी बहिर्वाह), विश्लेषण करने के लिए नकदी प्रवाह आंकड़ों की आवधिक निगरानी;

iv. सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को चेतावनी देने वाले प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) की निगरानी; और

v. लगातार अनुवर्ती कार्रवाई और ग्राहक से लगातार संपर्क करने में वृद्धि।

*****

					अनुबंध
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना" के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2323 के भाग (क) और (ख) के लिए अनुबंध "					
राज्यवार (पिछले पांच वर्षों के लिए (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक))					
क्रम सं.	**राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का नाम**	**ऋण खातों की सं.**			
		शिशु	**किशोर**	**तरुण**	**तरुण प्लस**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	4,202	8,479	4,307	2
2	आंध्र प्रदेश	39,54,229	22,76,683	4,32,347	8,770
3	अरुणाचल प्रदेश	47,595	37,001	7,439	20
4	असम	26,27,889	16,56,687	1,25,610	232
5	बिहार	2,61,50,975	1,14,03,446	3,20,986	1,163
6	चंडीगढ़	43,600	28,563	11,611	17
7	छत्तीसगढ	35,49,517	14,84,005	1,30,617	201
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	10,666	11,437	3,934	13
9	दिल्ली	8,54,951	3,89,415	1,33,114	466
10	गोवा	89,395	76,592	20,287	31
11	गुजरात	53,33,354	26,68,638	3,33,977	1,030
12	हरियाणा	33,04,243	16,98,604	1,75,042	387
13	हिमाचल प्रदेश	2,48,234	3,18,377	79,894	97
14	झारखंड	69,90,046	21,71,233	1,38,697	368
15	कर्नाटक	1,73,11,693	81,10,375	5,15,279	813
16	केरल	56,45,473	30,24,072	2,35,444	1,270
17	लक्षद्वीप	3,261	4,992	461	-
18	मध्य प्रदेश	1,21,25,986	44,18,805	3,85,545	536
19	महाराष्ट्र	1,60,61,287	61,40,345	7,05,426	1,251
20	मणिपुर	1,47,941	49,949	7,991	25
21	मेघालय	84,265	55,329	9,639	15
22	मिजोरम	46,378	44,364	11,948	8
23	नागालैंड	42,176	52,027	8,939	24
24	ओडिशा	1,37,97,007	37,70,891	2,15,450	504
25	पुदुचेरी	3,48,036	2,00,381	9,358	6
26	पंजाब	35,46,590	14,76,574	1,87,125	380
27	राजस्थान	84,20,692	41,47,845	4,14,425	954
28	सिक्किम	33,717	39,895	5,071	12
29	तमिलनाडु	1,85,46,665	97,10,353	4,62,047	1,294
30	तेलंगाना	24,89,159	11,51,546	2,45,471	7,358
31	त्रिपुरा	10,04,080	6,86,944	17,298	40
32	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	4,09,699	10,67,242	1,76,664	42
33	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	3,781	37,926	8,139	5
34	उत्तर प्रदेश	2,20,03,219	82,17,927	7,15,986	1,771
35	उत्तराखंड	11,68,360	6,11,995	83,831	263
36	पश्चिम बंगाल	1,79,00,860	98,42,118	4,69,729	1,059
	कुल	**19,43,49,221**	**8,70,91,055**	**68,09,128**	**30,427**

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

*****